न्यायालय मे राजस्व मंडल मध्यप्रदेश सर्किट कोर्ट रीवा ~~ग्वालियर~~ म0 प्र0

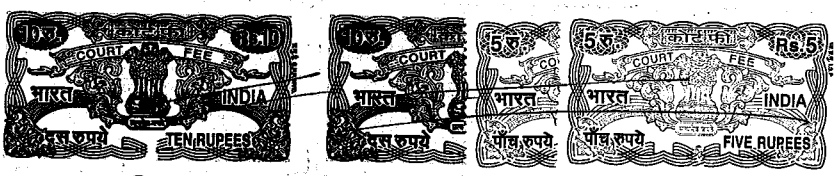

R 2630-II/14

रामबिशाल अग्रवाल उम्र 67 वर्ष पिता स्व0 रिक्खीलाल अग्रवाल निवासी वार्ड नं0 5 चंदिया तहसील चंदिया जिला उमरिया म0 प्र0

आवेदक / पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल उम्र 52 वर्ष पिता स्व0 लालजी अग्रवाल निवासी ग्राम चंदिया तहसील चंदिया जिला उमरिया म0 प्र0

अनावेदक / उतरदाता

पुनरीक्षण विरूद्व आदेश श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय जिला उमरिया म0 प्र0 के रा0 प्र0 क्र0 21 / पुनरीक्षण / 11–12 आदेश दिनांक 25.6.14 अर्न्तगत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 सं0

मान्यवर ,

पुनरीक्षण के तथ्य निम्नाकित है :–

1– यहकि की आराजी ख0 नं0 2120/2 ग्राम चंदिया तहसील चंदिया जिला उमरिया मे पुनरीक्षणकर्ता का माकान/दुकान बनी है जिसके भूमिस्वामी व कब्जेदार आवेदक व उसके स्व0 भाई मुन्नीलाल है व आवेदक उत्तरी सीमा से लगा अनावेदक का पुस्तैनी माकान था जिसे पिछले वर्ष अनावेदक तोडवाकर नया भवन निर्माण करवाया है, आवेदक के उक्त आराजी पर बने माकान / दुकान को अनावेदक ने अपना बताते हुये लीज पर देने का तथ्य दर्शाते हुये माकान खाली करने की एक नोटिस आवेदक को दिनांक 20.6.11 को अपने अधिवक्ता के द्वारा प्रेशित की गई थी नोटिस के पैरा क्र0 4 मे अनावेदक ने अपनी भूमि का सीमांकन करवाने के तथ्य उल्लेखित किया गया हैं, आवेदक ने नोटिस के आधार पर अनावेदक के सीमांकन की जानकारी प्राप्त की तो उसे जानकारी मिली कि अनावेदक ने आवेदक का माकान हडपने की नियत से रा0 नि0 चंदिया व पटवारी हल्का चंदिया से मिलकर फर्जी सीमांकन कार्यवाही के कागजात तैयार करवाकर आवेदक का माकान/दुकान अपने पटटे की भूमि पर लिखवा लिया गया है मौके पर कोई भी सीमांकन की कार्यवाही नही हुई है और न ही आवेदक को सीमांकन कार्यवाही की कोई नोटिस ही भेजी गई सम्पूर्ण सीमांकन कार्यवाही व उसकी अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील चंदिया जिला उमरिया म0 प्र0 के रा0 प्र0 क्र0 39/अ12/09–10 आदेश दिनांक 30.6.10 पुष्टि विधि विरूद्व होने से निरस्त होने योग्य है उक्त सीमाकन कार्यवाही से आवेदक के हित को आधात हुआ है जिससे आवेदक जानकारी तिथि से अन्दर म्याद श्रीमान कलेक्टर महोदय उमरिया के न्यायालय पुनरीक्षण प्रस्तुत किया था व साथ ही धारा 5 म्याद अधिनियम के अर्न्तगत आदेश दिनांक 30.6.10 से नकल मिलने दिनांक 16.9.11 के पूर्व ब्यतीत अवधि गैरजानकारी मे ब्यतीत होने व आदेश विधिविरूद्व होने से माफ की जाकर पुनरीक्षण अन्दर अवधि माने जाने का आवेदन पत्र स्वयं के शपथपत्र के साथ पेश किया गया था जिस पर माननीय अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय ने बिना सीमांकन अभिलेख तलब किये हुये दिनांक 3.2.14

रामबिशाल अग्रवाल

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 2630–दो/2014 जिला उमरिया

रामविशाल विरूद्ध राजेन्द्र प्रसाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02–11–2015	आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत अपर कलेक्टर उमरिया के प्रकरण कमांक 21/पुनरीक्षण/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 25–6–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ अपर कलेक्टर उमरिया के समक्ष आवेदक ने तहसीलदार चंदिया के प्रकरण कमांक 39/अ–12/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 30–6–2010 के विरूद्ध दिनांक 26–9–2011 को निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर के समक्ष आवेदक द्वारा एक वर्ष से अधिक के विलम्ब का समुचित कारण नहीं दर्शाये जाने के कारण अपर कलेक्टर ने निगरानी समयावधि बाधित होने से निरस्त की। आवेदक द्वारा इस न्यायालय में ऐसे तथ्य अथवा आधार नहीं बतलाए हैं जिससे अपर कलेक्टर के समक्ष आवेदक की निगरानी को समय–सीमा में मान्य किया जा सके। विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु प्रत्येक दिन का समाधानकारक कारण दर्शाये जाने पर ही माफ किया जा सकता है। दर्शित परिस्थितियों में अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः निगरानी निरस्त की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (डॉ0 मधु खरे) सदस्य	